निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद काली

द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :— 176 / 2017 दावा
दायरा दिनांक :— 01.08.2017
निर्णय दिनांक :— 28·6·18

उनवान

1. रामकिशन पुत्र गोविन्दा
2. देवीलाल पुत्र गोविन्दा
3. कन्हैयालाल पुत्र बिरधीलाल
4. चौथमल पुत्र बिरधीलाल
5. कजोडीबाई पत्नि बिरधीलाल जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. प्रभू पुत्र भैरया उर्फ भंवरया
2. जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. राजाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद जिला बारां
5. रामद्वारकी पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद हाल निवासी सुखनेरी तह0 छीपाबडौद जिला बारां
6. कवंरीबाई पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद जिला बारां
7. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा छीपाबडौद
8. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद
9. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिचाई परियोजना झालावाड।

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :— 28·6·18

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 87 रकबा 10 बिस्वा, ख0नं0 88 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 89 रकबा 18 बिस्वा, ख0नं0 90 रकबा 1.07 बीघा, ख0न0 91 रकबा 02 बिस्वा, ख0न0 92 रकबा 1.07 बीघा, ख0नं0 93 रकबा 1.07 बीघा, ख0नं0 94 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 95 रकबा 3.11 बीघा, ख0नं0 96 रकबा 4.01 बीघा, ख0नं0 97 रकबा 3.08 बीघा, ख0नं0 98 रकबा 10.14 बीघा, ख0नं0 118 रकबा 1.11 बीघा किता 13 रकवा 30.08 बीघा मौजा बडाय में स्थिज है। जो मुताबिक जमाबन्दी संख्या 116 संवत 2070—73 से वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 6 के शामलाती खातेदारी में दर्ज जमाबन्दी व कब्जे काश्त में चला आ रहा है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 ता 6 का दर्ज है। आराजी ख0नं0 33 रकवा 6.18 बीघा, ख0नं0 132 रकवा 2.05 बीघा, ख0नं0 496 रकवा 18.06 बीघा, किता 3 करवा 27.09 बीघा मौजा बडाय तहसील छीपाबडौद में स्थित है। जो मुताबिक जमाबन्दी संख्या 115 संवत 2070—73 से प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी एवं वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 6 के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्से पर कब्जा है उक्त आराजी पैतृक आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात पर पूर्व मे वादी कम 1 व 2 के दादा व वादी कम 3 ता 4 के परदादा श्री नैनगा जी के कब्जे काश्त मे थी तथा आवटन की कार्यवाही के दौरान ही नैनगा जी का स्वर्गवास हो गया तो राजस्व कर्मचारियों ने नैनगा जी के बडे पुत्र भंवरया उर्फ भैरया के

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

खातेदारी मे दर्ज कर दी जबकि उक्त वर्णित आराजीयात पर पूर्व में नैनगा जी का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके तीनो पुत्रों भंवरया उर्फ भैरया, भैरूलाल, गोविन्दा का समभाग से कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा भवरया उर्फ भैरया, के स्वर्गवास के बाद 1/3 हिस्से पर उनके पुत्र प्रतिवादी कम 1 का तथा भैरूलाल का स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण का तथा लक्ष्मीनारायण का स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी कम 2 ता 6 का तथा 1/3 हिस्से पर वादी कम 1 व 2 के पिता गोविन्दा का तथा वादी कम 1 व 2 के पिता के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रों वादी कम 1 व 2 एव श्री बिरधीलाल का तथा बिरधीलाल का स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान वादी कम 3 ता 5 व वादी कम 1 व 2 का निरन्तर बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उक्त वर्णित आराजीयात विधी विरूद्व तरीके से प्रतिवादी कम 1 के पिता भवरया उर्फ भैरया के खाते दर्ज हो गई तथा भवरया उर्फ भैरया के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज हो गई जबकि उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा वादीगण का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 ता 6 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 का है और इसी प्रकार हमेशा से काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात मे अपने को 1/3 हिस्से की आराजी का खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण को जब पता चला कि उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड के केवल प्रतिवादी कम 1 के ही खातेदारी मे दर्ज है तो वादीगण ने प्रतिवादी कम 1 से उक्त वर्णित आराजीयात में से 1/3 हिस्से की आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कम 1 द्वारा टालमटोल ही की है लेकिन वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं करवाई इसलिए वादीगण के पास मान0 न्यायालय मे वाद घोषणा खातेदारी के प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। उक्त वर्णित आराजीयात को अब वादीगण सयुक्त खातेदारी मे नहीं रखना चाहते है तथा मौके पर कब्जे के अनुसार अपने हिस्से की आराजी का खाता विभाजन करवाना चाहते है जिसके वादीगण कानूनी अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजीयात में से कुछ आराजीयात का प्रतिवादी कम 9 द्वारा परवन वृहत सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने से अधिग्रहण किया जाना है जिसके मुआवजे का भुगतान किया जाना है जब तक खाता विभाजन न हो जावे तब तक मुआवजा राशि का भुगतान नही किया जावे इसलिए वादीगण के लिए स्थाई निषेधाज्ञा हासिल करना भी नितान्त आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनाक 12.07.2017 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा अन्तिम बार प्रतिवादी कम 1 से उक्त वर्णित आराजीयात मे से 1/3 हिस्से की आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज करवाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी कम 1 द्वारा टालमटोल ही की तथा वादीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात का कब्जे के अनुसार खाता विभाजन करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी कम 1 ता 6 द्वारा वादीगण के निवेदन पर ध्यान नही देने पर उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2070-73 खाता संख्या 116, नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत 2070-73 खाता सख्या 115, पेश की गई।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद जागीर पर रखा गया। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद जागीर पर स्वय उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवानी के केस मे हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। ग्राम बडाय की आराजी खसरा नंबर 95 रकबा 1.16 बीघा, खसरा नंबर 96 रकबा 2.01 बीघा, खसरा नंबर 97 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नंबर 98 रकबा 3.09 बीघा, कुल 9 बीघा भूमि वादी कम 1 के खसरा नंबर 98 रकबा 04 बीघा भूमि वादी कम 2 के एव , खसरा नंबर 94 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 95 रकवा 1.15 बीघा, ख0न0 96 रकवा 2 बीघा, ख0न0 97 रकवा 1.14 बीघा, ख0न0 98 रकवा 3.05 बीघा, ख0न0 118 रकवा 1.11

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

बीघा, कुल 10.06 बीघा वादी कम 3 ता 5 के व ख0नं0 94 रकवा 02 विस्वा, ख0नं0 89 रकवा 18 बिस्वा, ख0नं0 90 रकवा 1.03 बीघा, ख0नं0 92 रकवा 1.07 बीघा, कुल 3.10 बीघा प्रतिवादी कम 1 के एवं ख0नं0 88 रकवा 12 बिस्वा, ख0नं0 87 रकवा 10 बिस्वा, ख0नं0 93 रकवा 1.07 बीघा, ख0नं0 94 रकवा 1.01 बीघा, कुल 3.10 बीघा भूमि भूमि प्रतिवादी कम 2 ता 6 खातेदारी में रहेगी। ख0नं0 91 रकवा 02 बिस्वा भूमि गे0मु0 चाह सभी के शामलाती में रहेगा। इस प्रकार से राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया है। प्रस्तुत राजीनामा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प दीगोद जागीर पर पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, एवं समझाया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा सुन व पढकर एवं समझने के बाद राजीनामे पर हस्ताक्षर किये गये, तथा उनकी पहचान उनके अभिभाषक गण द्वारा की गई। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं राजस्व रिकार्ड व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद जागीर पर प्रस्तुत राजीनामा आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडाय के खसरा नंबर 95 रकबा 1.16 बीघा, खसरा नंबर 96 रकबा 2.01 बीघा, खसरा नंबर 97 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नंबर 98 रकबा 3.09 बीघा, कुल 9 बीघा भूमि वादी कम 1 रामकिशन के, खसरा नंबर 98 रकबा 04 बीघा भूमि वादी कम 2 देवीलाल के एवं , खसरा नंबर 94 रकबा 01 बिस्वा, ख0नं0 95 रकवा 1.15 बीघा, ख0नं0 96 रकवा 2 बीघा, ख0नं0 97 रकवा 1.14 बीघा, ख0नं0 98 रकवा 3.05 बीघा, ख0नं0 118 रकवा 1.11 बीघा, कुल 10.06 बीघा वादी कम 3 ता 5 कन्हैयालाल, चौथमल, कजोडीबाई के व ख0नं0 94 रकवा 02 विस्वा, ख0नं0 89 रकवा 18 बिस्वा, ख0नं0 90 रकवा 1.03 बीघा, ख0नं0 92 रकवा 1.07 बीघा, कुल 3.10 बीघा प्रतिवादी कम 1 प्रभू के एवं ख0नं0 88 रकवा 12 बिस्वा, ख0नं0 87 रकवा 10 बिस्वा, ख0नं0 93 रकवा 1.07 बीघा, ख0नं0 94 रकवा 1.01 बीघा, कुल 3.10 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 2 ता 6 जगन्नाथ, राजाराम, नन्दकिशोर, रामद्वारकी, कवरीबाई के खातेदारी में एवं ख0नं0 91 रकवा 02 बिस्वा भूमि गे0मु0 चाह सभी के शामलाती में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 176 / 2017	धारा अन्तर्गत 88,53,188 RTA	निर्णय दिनांक 28-6-18
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:–	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक
उनवान

1. रामकिशन पुत्र गोविन्दा
2. देवीलाल पुत्र गोविन्दा
3. कन्हैयालाल पुत्र बिरधीलाल
4. चौथमल पुत्र बिरधीलाल
5. कजोडीबाई पत्नि बिरधीलाल जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. प्रभू पुत्र भैरया उर्फ भंवरया
2. जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. राजाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद जिला बारां
5. रामद्वारकी पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद हाल निवासी सुखनेरी तह0 छीपाबडौद जिला बारां
6. कवंरीबाई पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडाय तह0 छीपाबडौद जिला बारां
7. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा छीपाबडौद
8. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद
9. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिचाई परियोजना झालावाड।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद जागीर पर प्रस्तुत राजीनामा आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडाय के खसरा नंबर 95 रकबा 1.16 बीघा, खसरा नंबर 96 रकबा 2.01 बीघा, खसरा नंबर 97 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नंबर 98 रकबा 3.09 बीघा, कुल 9 बीघा भूमि वादी कम 1 रामकिशन के, खसरा नंबर 98 रकबा 04 बीघा भूमि वादी कम 2 देवीलाल के एवं , खसरा नंबर 94 रकबा 01 बिस्वा, ख0नं0 95 रकवा 1.15 बीघा, ख0नं0 96 रकवा 2 बीघा, ख0नं0 97 रकवा 1.14 बीघा, ख0नं0 98 रकवा 3.05 बीघा, ख0नं0 118 रकवा 1.11 बीघा, कुल 10.06 बीघा वादी कम 3 ता 5 कन्हैयालाल, चौथमल, कजोडीबाई के व ख0नं0 94 रकवा 02 विस्वा, ख0नं0 89 रकवा 18 बिस्वा, ख0नं0 90 रकवा 1.03 बीघा, ख0नं0 92 रकवा 1.07 बीघा, कुल 3.10 बीघा प्रतिवादी कम 1 प्रभू के एवं ख0नं0 88 रकवा 12 बिस्वा, ख0नं0 87 रकवा 10 बिस्वा, ख0नं0 93 रकवा 1.07 बीघा, ख0नं0 94 रकवा 1.01 बीघा, कुल 3.10 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 2 ता 6 जगन्नाथ, राजाराम, नन्दकिशोर, रामद्वारकी, कवंरीबाई के खातेदारी में एवं ख0नं0 91 रकवा 02 बिस्वा भूमि गे0मु0 चाह सभी के शामलाती में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.06.2018 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबडौद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner